डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

मोहन सिंह बनाम मौहर सिंह वगै0

दावा बाबत् 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 57/2018

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दढ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नम्बरान 730 रकवा 0.20, 733 रकवा 0.24, वाके मौजा बरबारा तहसील नदबई में दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से इस बाबत पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करें एवं न ही वादीगण को उनकी खातेदारी आराजी में काश्त करने में कोई समस्या उत्पन्न करें।

बैज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

ε दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 09.09.2024 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत——————

उपखण्ड अधिकारी 09/09/24
नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			गीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:56:56 IST
Reason: SelfAttested

1. मोहनसिंह उर्फ कूढा पुत्र बसंता जाति जाट निवासी बरबारा हाल
तहसील नदबई (भरतपुर)
2. नरपति दत्तक पुत्र रोशन जाति जाट निवासी बरबारा हाल कस्बा नदबई
नदबई (भरतपुर)
3. हरेत पुत्र कल्लू जाति जाट निवासी बरबारा हाल कस्बा नदबई तहसील
(भरतपुर)
4. रामसिंह पुत्र कल्लू जाति जाट निवासी बरबारा हाल कस्बा नदबई तहसील
(भरतपुर)
5. सुगडसिंह पुत्र कल्लू जाति जाट निवासी बरबारा हाल कस्बा नदबई तहसील
(भरतपुर)
6. सुनीता पुत्री तुरसी जाति जाट निवासी बरबारा हाल कस्बा नदबई तहसील नदबई
(भरतपुर)
7. मंजू पुत्री तुरसी जाति जाट निवासी बरबारा हाल कस्बा नदबई तहसील नदबई
(भरतपुर)
8. अंजू पुत्री तुरसी जाति जाट निवासी बरबारा हाल कस्बा नदबई तहसील नदबई
(भरतपुर)

वादीगण

बनाम

1. मौहरसिंह पुत्र भूरीसिंह जाति जाट निवासी बरबारा तहसील नदबई (भरतपुर)
2. लक्ष्मीनारायन पुत्र भूरीसिंह जाति जाट निवासी बरबारा हाल कस्बा नदबई तहसील
नदबई (भरतपुर)
3. हरचंद पुत्र भूरीसिंह जाति जाट निवासी बरबारा हाल कस्बा नदबई तहसील
(भरतपुर)
4. कारे उर्फ विजयसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बरबारा हाल कस्बा नदबई तहसील नदबई
तहसील नदबई (भरतपुर)

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:56:56 IST
Reason: SelfAttested

नदबई (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 57/2018
जीसीएमएस न. 2017/00146
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक ...9/9/2024

1. मोहनसिंह उर्फ कूढा पुत्र बसंता जाति जाट निवासी बरबारा हाल कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
2. नरपति दत्तक पुत्र रोशन जाति जाट निवासी बरबारा हाल कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
3. हरेत पुत्र कल्लू जाति जाट निवासी बरबारा हाल कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
4. रामसिंह पुत्र कल्लू जाति जाट निवासी बरबारा हाल कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
5. सुगडसिंह पुत्र कल्लू जाति जाट निवासी बरबारा हाल कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
6. सुनीता पुत्री तुरसी जाति जाट निवासी बरबारा हाल कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
7. मंजू पुत्री तुरसी जाति जाट निवासी बरबारा हाल कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
8. अंजू पुत्री तुरसी जाति जाट निवासी बरबारा हाल कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)

वादीगण

बनाम

1. मौहरसिंह पुत्र भूरीसिंह जाति जाट निवासी बरबारा तहसील नदबई (भरतपुर)
2. लक्ष्मीनारायन पुत्र भूरीसिंह जाति जाट निवासी बरबारा हाल कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
3. हरचंद पुत्र भूरीसिंह जाति जाट निवासी बरबारा हाल कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
4. कारे उर्फ विजयसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बरबारा हाल कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

[illegible]वादीगण

उपस्थित श्री फ[illegible] सिनसिनवार ए[illegible] [illegible]दीगण)

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:56:56 IST
Reason: SelfAttested

09/09/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

:: निर्णय :: दावा 188 आर.टी.ए.

दावा वादीगण संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण वाद के लिए पूर्ण सक्षम व्यक्ति है। वादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है। रूपा का देहान्त लावल्द विलाऔलाद हो चुका है उसके हिस्से पर वादीगण मुताबिक हिस्सा खातेदार है।
2. यह कि आराजी खसरा नंबर हाल बंदोबस्ती 730 रकबा 0.20 हैक्ट व 733 रकबा 0.24 हैक्ट किता 2 कुल रकबा 0.44 हैक्ट स्थित ग्राम बरबारा तहसील नदबई में स्थित है जिसके सह खातेदार काश्तकार मुताबिक हिस्सा वादीगण दर्ज रैवेन्यू रिकार्ड है।
3. यह कि उपरोक्त आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र वाके ग्राम बरबारा तहसील नदबई वादीगण की न्यारानूर खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादीगण उक्त आराजी पर न्यारानूर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं लेकिन प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो वादीगण की उक्त आराजी पर जबरन मदाखलत व मजाहमत करते रहते हैं। वादीगण कस्बा नदबई में निवास करने के कारण पीछे से फसल को उजाड देते हैं तथा जबरन उक्त आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है लेकिन फिर भी दिनांक 10.10.217 को वादीगण को खुलेआम धमकी दी है कि वे उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करके रहेंगे व फसल को नहीं ले जाने देंगे अगर प्रतिवादीगण उक्त धमकी में कामयाब हो गए तो वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरे नकद से ना हो सकेगी। वदीवजह वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी है कि वे वादीगण की आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें व जबरन कब्जा नहीं करें।
4. यह कि विनायमुखास्मत व योमदेने धमकी प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को दिनांक 10.10.2017 को दिये जाने से पैदा होकर वादीगण को यह वाद पत्र पेश करना लाजिमी है।
5. यह कि विवादित आराजी व पक्षकारान मुकदमा अदालत श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में है।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 की तलवी हो चुकी है, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ।अतः इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थ[illegible] हाल जमाबंदी संबत 2072–75, वाके ग्राम बरबारा तहसील न[illegible] गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:56:56 IST
Reason: SelfAttested

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की [illegible] तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का [illegible] कि वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए के तहत पेश किया गया है। विवादित आराजी खसरा नम्बरान 730 रकवा 0.20, 733 रकवा 0.24, वाके मौजा

09/09/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

बरबारा तहसील नदबई में स्थित है। उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर वादीगण मुताबिक जमाबंदी हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। जिसमें प्रतिवादीगण न तो सहखातेदार हैं एवं न ही अन्य कोई संबंध सरोकार है। वादीगण को खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त हैं इसलिए वादी को खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। दावा वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 730 रकवा 0.20, 733 रकवा 0.24, वाके मौजा बरबारा तहसील नदबई में दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से इस बाबत पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करें एवं न ही वादीगण को उनकी खातेदारी आराजी में काश्त करने में कोई समस्या उत्पन्न करें।

निर्णय आज दिनांक 09.09.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

09/09/24

(गंगाधर मीणा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:56:56 IST
Reason: SelfAttested